

परिवादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रकरण आज परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

परिवाद के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि हस्तगत परिवाद धारा 294, 506 भाग।। भा.द.सं. एवं धारा 03 (01)(10) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा 03 (01)(10) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विचारण या उपार्पण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को पत्र ना होकर इस वावत् गठित माननीय विशेष न्यायालय को प्राप्त है। फलतः परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।